



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

197
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं०-3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (M.P.)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

कमांक: 6-MPC 024/2010-BHO/ 274
प्रति,

दि०-10-02-2012

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, पल्लव भवन,
भोपाल (M.P.) ।

AS(S)

16/02/12

R.No-567/1

दिनांक 17/2

विषय: खरगोन एवं इन्दौर जिले में 400 के०व्ही० मालवा टी०पी०एच०-पीथमपुर डी०सी०डी०एस० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माणार्थ 26.70 हे० आरक्षित वनभूमि अधीक्षण यंत्री, अति० उच्च दाब (निर्माण) म०प्र० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीसी 024/2010-बीएचओ/2271 दिनांक 10/12/2010
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-4/10/95/2010/10-11/विद्युत/3208 दिनांक 5/11/2011, समसंख्यक पत्रांक 3477 दिनांक 9/12/2011 एवं 46 दिनांक 5/1/12
3. Ad-hoc CAMPA, MoEF, New Delhi letter no. 1-20/2012-CAMPA dated 08/02/2012

महोदय,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र कमांक एफ-4/10/95/2010/10-11/विद्युत/1820 दिनांक 12/05/10 एवं समसंख्यक पत्रांक 2922 दिनांक 16/8/10 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 400 के०व्ही० मालवा टी०पी०एच०-पीथमपुर डी०सी०डी०एस० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माणार्थ 26.70 हे० आरक्षित वनभूमि अधीक्षण यंत्री, अति० उच्च दाब (निर्माण) म०प्र० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

- वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- अ. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर कुल 26.70 हे० गैर वनभूमि (सर्वे नं० 272 बोरवनी, तहसील-जावरा, जिला-रतलाम) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा ।
स) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के धारा (4) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को इस अनुमोदन के जारी होने के छः माह के अन्दर उपलब्ध कराई जाएगी ।
- अ. पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो ।
ब. वन क्षेत्रों के उपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।
स. वनभूमि पर पारेषण लाईन के अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 46.4 मीटर होगी ।
द. प्रत्येक चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3.0 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् प्राकृतिक पुनर्जनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/दूट/छटाई की जायेगी ।

.....2

94

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

17/2/12
S/S
17/2/12

- ई. एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख-रखाव किया जा सके ।
- फ. अधिकृत मार्ग के भीतर चालक और वृक्षों के बीच 5.5 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए विद्युत चालक वृक्षों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जायेगी । न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।
- ज. पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध हैं, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के झुकाव (sagging) से उचित रख-रखाव किया जायेगा ।
5. वनक्षेत्र तथा साथ लगे वनक्षेत्रों से गुजरने वाली वितरण लाइनों (distribution lines) पर वन्यप्राणियों की उचित तथा पर्याप्त सुरक्षा की जायेगी ।
6. निर्माण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेंका जायेगा ।
7. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा कटाई के स्थान पर जहां तक संभव हो सके वृक्षों की शाखाओं को काटकर अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने का प्रयास किया जायेगा ।
8. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरिक्त या नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।
9. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन की ऊंचाई का इस प्रकार रख-रखाव किया जायेगा कि कोई वन्यप्राणी बिजली के तार से दुर्घटनावश सम्पर्क में न आ सके ।
10. चालक तथा वृक्षों के बीच में 5.5 मीटर की न्यूनतम दूरी रखने की अनुमति होगी । इस न्यूनतम दूरी की गणना करते समय चालक की sag और swing को ध्यान में रखा जायेगा । इस हेतु वृक्षों की कटाई करने की आवश्यकता होगी । जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यपवर्तित वनक्षेत्र में राज्य वन विभाग की अनुमति से वृक्षों की कटाई अथवा शाखाओं की कटाई की जा सकेगी ।
11. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।
12. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों, ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।
13. वन विभाग के वन शिबिरों, बीटों तथा अन्य स्थापना को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।
14. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा शर्तों के पालन के विषय में वार्षिक स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी, MOPRO तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जायेगा ।
15. ट्रांसमिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेष कर औषधीय पौधों का) वृक्षारोपण किया जायेगा । यदि आर0ओ0डब्ल्यू0 में 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किसी कारण से किया जाना संभव न हो तो आर0ओ0 डब्ल्यू0 से बाहर औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव बनाकर पूर्ण औचित्य सहित नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।
16. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
18. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनरिपतियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयागकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।
19. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिक्न 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय
R. Dasgupta
(प्रदीप वासुदेवा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल इन्दौर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला-बड़वाह, मध्यप्रदेश ।
5. वनमण्डलाधिकारी, रतलाम वनमण्डल, जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश ।
6. अधीक्षण यंत्री, अति0 उच्च दाब (निर्माण) म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
7. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेवा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)